रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229148
CG-DL-E-19082021-229148

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943
No. 468] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 580(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण) नियम, 2019 में, नियम 5 के पश्चात, निम्नलिखित नियम और अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6. स्वतंत्र निदेशकों की क्षमता निर्माण पर वार्षिक रिपोर्ट: - संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम डाटा बैंक में शामिल है, और प्रत्येक कंपनी, जिसमें ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, को इन नियमों की अनुसूची में उपबंधित प्ररूप में वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

अनुसूची

स्वतंत्र निदेशक की क्षमता निर्माण पर वार्षिक रिपोर्ट

(संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित)

निदेशक का नाम :

डीआईएन संख्या :

आईडीडीबी रजस्ट्रीकरण संख्या :

अंशदान (1 वर्ष/5 वर्ष/आजीवन) :

सदस्यता की वैधता :

ऑनलाइन प्रवीणता स्वमूल्यांकन परीक्षण प्रास्थिति (लागू नहीं, यदि छूट दी गई हो)

क. वित्तीय वर्ष .... के दौरान सहभागिता

ई-लर्निंग मॉड्यूल्स		अन्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम/पाठ्यक्रम		कोलोक्युम/कर्मशाला/आईडीडीबी के कार्यक्रम	
संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए मॉड्यूलों की संख्या	रिपोर्टकर्ता द्वारा पूर्ण किए गए मॉड्यूलों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	उन पाठ्यक्रमों की संख्या जिनमें रिपोर्टकर्ता द्वारा भाग लिया गया	वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उन कार्यक्रमों की संख्या जिनमें रिपोर्टकर्ता द्वारा भाग लिया गया

ख. कुल सहभागिता

ई-लर्निंग मॉड्यूल्स		अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम		कोलोक्युम/वर्कशॉप/आईडीडीबी के कार्यक्रम	
संस्थान द्वारा आज की तारीख तक जारी किए गए मॉड्यूलों की संख्या	रिपोर्टकर्ता द्वारा पूर्ण किए गए मॉड्यूलों की संख्या	आज की तारीख तक संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या	उन पाठ्यक्रमों की संख्या जिनमें रिपोर्टकर्ता द्वारा भाग लिया गया	आज की तारीख तक संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	उन कार्यक्रमों की संख्या जिनमें रिपोर्टकर्ता द्वारा भाग लिया गया

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल.I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 805(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात तारीख 18 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 418(अ) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2021

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by section 150 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Rules, 2019, namely:-

1. Short Title and Commencement.─ (1) These rules may be called the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Rules, 2019, after rule 5, the following rule and the Schedule shall be inserted, namely:-

"**6. Annual report on the capacity building of independent directors**:- The institute shall within sixty days from the end of every financial year send an annual report to every individual whose name is included in the data bank and also to every company in which such individual is appointed as an independent director in format provided in the Schedule to these Rules.

SCHEDULE

Annual Report on Capacity Building of Independent Director

(To be submitted by the institute)

Director's Name:

DIN Number:

IDDB Registration Number:

Subscription (1 yr/5 yr/Lifetime):

Membership Validity:

Online Self-Assessment Proficiency Test Status (N.A if exempted):

A. Participation during the Financial Year _______

E-Learning Modules		Other Training Programs/ Courses		Colloquium / Workshops / Events of IDDB	
No. of modules released by the institute during the FY	No. of modules completed by the reportee	No. of courses organized by the institute during the FY	No. of courses attended by the reportee	No. of events organized by the institute during the FY	No. of events attended by the reportee

B. Total Participation

E-Learning Modules		Other Training Programs/ Courses		Colloquium / Workshops / Events of IDDB	
No. of modules released by the institute till date	No. of modules completed by the reportee	No. of courses organized by the institute till date	No. of courses attended by the reportee	No. of events organized by the institute till date	No. of events attended by the reportee

[F. No. 8/4/2018-CL-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 805 (E), dated the 22nd October, 2019 and were subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 418 (E) dated the 18th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.19 21:56:41 +05'30'